



2026:AHC:32682

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या- 18679 सन् 2025

श्रीमती रेनू एवं 6 अन्य

..... याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: आदित्येन्द्र सिंह, विनोद कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्येन्द्र सिंह और राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर० एस० उमराव को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर० एस० उमराव द्वारा निर्देश प्रस्तुत किया गया हैं। उन्होंने बताया कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, 2, और 3 उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 4 से 7 कांस्टेबल थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 28.06.2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (प्रथम) द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में भेजा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 05.07.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं का स्थानान्तरण प्रवर्तन (प्रवर्तन दल) में कर दिया गया और अब उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (प्रथम) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.11.2025 के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया

2

गया है।

4. इसी बात पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका दाखिल की है।
5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.11.2025 एक से अधिक कारणों से मान्य नहीं है। प्रथम, शासकीय आदेश दिनांकित 07.12.2017 के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष है जिसे एकतरफा रूप से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। द्वितीय, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य; 2006 (8) एससीसी 1, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में केवल पुलिस स्थापना बोर्ड ही स्थानान्तरणों या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिनियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, इसलिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (प्रथम) द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार से रहित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए

6. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि प्रथम तो प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.11.2025 पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ताओं को मूल स्थान पर वापस भेजने के निर्णय की सूचना देता है। द्वितीय, यद्यपि शासकीय आदेशों में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष निर्धारित है, परन्तु सरकार के पास पुलिसकर्मियों को तीन वर्ष से कम, यानी दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने और उन्हें मूल स्थान पर वापस बुलाने का विकल्प हमेशा खुला है। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को अपनी इच्छा से प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने का कोई विधिक अधिकार या प्राधिकार नहीं है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. प्रत्यक्षतः, याचिकाकर्तागण उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे, जिनके कैडर नियंत्रण का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। याचिकाकर्ताओं को 28.06.2023 को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, आदेश का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

“निम्नलिखित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को अनुकम्पा के आधार पर उनके नियुक्ति जनपद से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति अवधि 02 वर्ष समाप्त होने के उपरान्त बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये मुख्य आरक्षी को

3

इस इस मुख्यालय के प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस कर दिया जाए।”

9. इसका परिशीलन करने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में दो साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।

10. महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की शर्त यह है कि...दो वर्ष की अवधि को चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, 29.11.2025 को याचिकाकर्ताओं को मूल स्थान पर वापस भेजा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति यह है कि 07.12.2017 के शासकीय आदेश के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए थी जिसे आगे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था, इसलिए 29.11.2025 का आदेश मान्य नहीं है। यह बात स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर तब जब प्रतिनियुक्ति के आधार पर अवधि निर्धारित करना और उसे कम करना हमेशा सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार होता है, क्योंकि विधि यह स्थापित कर चुका है कि प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, हालांकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है।

11. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई एक अन्य आपत्ति के संबंध में कि 05.07.2025 को याचिकाकर्ताओं को परिवर्तन दल की प्रवर्तन टीम में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित/भेजा गया था, इसलिए शासकीय आदेश दिनांकित 07.12.2017 लागू होगा और याचिकाकर्ताओं को दो साल की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी और वैसे भी याचिकाकर्ताओं को 2026 तक पद पर बने रहना है, यह इस साधारण कारण से स्वीकार्य नहीं है कि केवल एक ही आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को 28.06.2023 को उत्तर

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदेश पुलिस विभाग से विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजा गया था और 05.07.2025 को याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ में प्रवर्तन टीम/परिवर्तन दल में तैनात किया गया था। पोस्टिंग आदेश दिनांकित 05.07.2025 को प्रतिनियुक्ति का नया आदेश नहीं कहा जा सकता है जिससे याचिकाकर्ताओं को 2/3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए रहने का अधिकार मिल सके।

12. इस तथ्य के संबंध में कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह (उपरोक्त) निर्णय के अनुसार जहां तक आदेश पारित करने का अधिकार केवल पुलिस स्थापना बोर्ड के पास था, आदेश दिनांकित 29.11.2025 के परिशीलन से ही स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं को

4

वापस भेजने का आदेश दिनांकित 29.11.2025 पुलिस स्थापना बोर्ड की स्वीकृति के बाद जारी किया गया था। आदेश दिनांकित 29.11.2025 का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

“अतएव सतर्कता मुख्यालय में स्थापना बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में उक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/गहन जनपद वापस किये जाने हेतु दिनांक: 05-12-2025 की तिथि नियत की जाती है।”

15. फिर भी, समान परिस्थितियों वाले पदधारियों द्वारा उठाई गई ऐसी ही चुनौती माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। इलाहाबाद/लखनऊ की न्यायपालिका ने रिट याचिका संख्या 13332 सन् 2025 में निम्नलिखित आदेश दिया:

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख में मौजूद सामग्री का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति आदेश की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। यह स्पष्ट है कि विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ताओं से संबंधित कई आदेश हैं जिनमें यह शर्त है कि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी।

8. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिनियुक्ति आदेश में निर्धारित अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी कर ली है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने प्रतिनियुक्ति स्वीकार करते समय कभी चुनौती नहीं दी थी। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति अवधि के संबंध में कोई भी शिकायत उठाने के लिए स्पष्ट रूप से विबन्धन के सिद्धांत से वर्जित हैं।

9. शासकीय आदेश की प्रयोज्यता के पहलू के संबंध में, प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त करना या उसे बढ़ाना विभाग का विशेषाधिकार है और केवल 02.12.2017 के शासकीय आदेश जारी करने से याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति जारी रखने का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

10. उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, याचिका खारिज की जाती है और सभी पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करेंगे।

16. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा राम बहादुर रिट-ए संख्या 1735 सन् 2026 में दिए गए निर्णय के संबंध में, यह याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका योग्यताहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5

13 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"